S.No 925/10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

71AA 971198

असल पर स्टाम्प – 19600/-

नकल द० नं० 5313/2005

उप निबंधक

30-1-2010

5313/2

235

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हजार रुपये

के.कुमार श्रीवास्तव
20 OCT 2005
कोषाधिकारी, आगरा

0400 736046

ओ३म

मालियत सरकारी - 8,50,000/- रुपया ।

[illegible] प्रतिफल - 19,60,000/- रुपया ।

मार्किट रेट - 30,00,000/- रुपयाप्रति हेक्टेयर ।

अदा किया गया स्टाम्प - 1,96,000/- रुपया । 30-1-2010

विवरण विक्रीत आराजी - आराजी वाके मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा तहसील व जिला आगरा खाता नंबर 635 खसरानंबर 941 रकबा 1.302 हेक्टेयर लगानी 30/रुपया 20 पैसे सालाना में से 1/2भाग

237

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0400 736047

अमित कुमार श्रीवास्तव
2005

/2/

जो कृषिक्षेत्र भूमि है जिसके आसपास 200 मीटर की परिधि मे खेती हो रही है जिसमें कोई पेड़ ट्यूबैल व आवासीय नहीं है तथा विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है जो मुख्य मार्ग से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है ।

विक्रेता – [illegible] सहकारी आवास समिति लि0 आगरा रजि0 [illegible] दिनांक 3/6/2005 द्वारा सचिव श्री इन्तखाज हुसैन पुत्र स्व0 श्री [illegible] हुसैन निवासी 27/78 गुदड़ी मंसूर खाँ आगरा ।

क्रेता – [illegible] स्टील एण्ड एलॉयज प्रा0 लि0 सिविल लाइन्स दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र पाठक पुत्र श्री अनीस पाठक निवासी 21 [illegible] रोड सिविल लाइन्स दिल्ली ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

...त कुमार श्रीवास्तव
20 OCT 2005
कोषाधिकारी, आगरा

01DD 736048

/3/

जो कि आराजी वाके मौजा दरौली अहीर तहसील व जिला आगरा खाता नंबर 635 खसरा नंबर 951 रकबा 1.302 हेक्टेयर लगानी 30/- रूपया 20 पैसे साल में से 1/2 भाग की तनहा मालिक उक्त विक्रेता समिति है जिसको विक्रेतासमिति ने बजरिए बैनामा रजिस्ता विजेन्द्र सिंह चौहान दिनांक 13/6/2005 को क्रय किया है जिसको रजिस्टरी कार्यालय श्रीमान सब रजिस्ट्रार तृतीय आगरा में हुई है। सिवाय विक्रेता समिति के अन्य किसी हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी तरह का उक्त हिस्सा आराजी मजकूर में नहीं है जो आगे किसी तरह के इंतकाल वगैरा कराये और उक्त हिस्सा आराजी मजकूर आज तक हर प्रकार के कर्जे व भार व इंतकालात व दूसरा देनदारियों व जिम्मेदारियों वगैरा से कतई तौर पर पाक व

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

25000

रुपये 25000 RUPEES

पच्चीस हजार रुपया

04DD 736049

[illegible] कुमार श्रीवास्तव

20 OCT 2005

[illegible] अधिकारी, [illegible]

/5/

[illegible] और [illegible] किसी के हक में नहीं किया गया [illegible] है [illegible] जायदाद [illegible] नहीं है । और विक्रेता उक्त [illegible] है और उसको पैतृकित [illegible] उक्त हिस्सा आराजी के विक्रय आदि करने के मुकम्मल अधिकार हासिल हैं और [illegible] विक्रेता को [illegible] उक्त [illegible] के उक्त हिस्सा आराजी का [illegible] करना । [illegible] मौजूदा के मंजूर है ।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

04DD 736050

[illegible] 20[illegible] 2005

कोषाधिकारी, आगरा

लिहाजा विक्रेता ने बहैसियत सचिव उक्त समिति के उक्त हिस्सा आराजी को अपनी राजी व खुशी से बिला दबाव [illegible] बिना किसी नाजायज के [illegible] एवं उक्त दाखिली व खारिजी के लिए [illegible] मुबलिग 8,50,000/- आठ लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके 4,25,000/- चार लाख पच्चीस हजार रुपया होते हैं बदस्त [illegible] प्रा0 लि0 सिविल लाइन्स दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री [illegible] पाठक पुत्र श्री [illegible] पाठक निवासी 21 [illegible] रोड सिविल लाइन्स दिल्ली को पेशगी कर दी और बेच दी।

2-35

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

04DJ 736051

कीमत का कुल रुपया विक्रेता ने क्रेता से हस्ब तफसील जैल [illegible] [illegible] कर लिया है और उक्त रुपया प्राप्त होने के बाद विक्रेता [illegible] का क्रेता से कुछ लेना शेष नहीं रहा न कोई ताल्लुक व सरोकार विक्रीत आराजी से विक्रेता का रहा न भविष्य में होगा लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत आराजी पर आज की तारीख से खरीदार का करा दिया और खरीदार को विक्रीत आराजी का कामिल मालिक काबिज बना दिया [illegible] [illegible] विक्रेता अब खरीदार को अधिकार है कि वह उक्त

297

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

04DD 736052

/3/

[illegible] मकबूजे [illegible] मालिक [illegible] मैं लाभान्वित होते [illegible] [illegible] आराजी मजकूर बहक खरीदार को हक मालिकाना हासिल है और आयंदा रहेंगे खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज कागजात सरकारी में जरिए बैनामा हाजा के दर्ज करा लेवे ।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

मिस कुमार श्रीवास्तव

20 OCT 2005

कोषाधिकारी, आगरा

/8/

अगर सानी उल्हाल कोई वारिस या दावेदार समिति की तरफ से पैदा होकर दावा व झगड़ा खरीदार से करें या उसकी वजह या किसी दीगर वजह से हिस्सा आराजी का जुज व कुल कब्जा व दखल खरीदार से निकल जावें तो ऐसी जुमला सूरतों में उसकुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] कुमार श्रीवास्तव

20 OCT 2005

[illegible]धिकारी, [illegible]

/5/

विक्रेता सम्मिलित व वायस मुकम्मल विक्रेता सम्मिलित के है और होगा अधिकार को [illegible] होगा कि वह कुल रूपया जरिए अदालत वसूल कर लेवे इसमें विक्रेता सम्मिलित व वायस मुकामान उनके को कुछ उज्र नहीं होगा ।

253

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] कुमार [illegible]

[illegible]

[illegible]धिकारी, [illegible]

/15/

उक्त विक्रय आराजी कृषिकीय भूमि है जिसका सर्किल रेट 30,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर निर्धारित है जिसपर नियमानुसार स्टाम्पअदा किया गया है तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(क) का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

समिति के संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है उक्त आराजी समिति के गैर सदस्य को विक्रय कर दी जावे जिससे समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है तथा विक्रेता को उक्त आराजी को विक्रय हेतु अधिकृत किया गया है ।

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अमित कुमार श्रीवास्तव
17 OCT 2005
कोषाधिकारी, आगरा

/ 2 /

तफसील [illegible] इसप्रकार है :-

मुबलिग 6,50,000/- रुपया जरिए चैक नंबर 558177 दिनांक 20/10/2005 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. के द्वारा वसूल पाना तय करार पाया है व मुबलिग 2,00,000/- रुपया नकद पेशगार वसूल पा लिए व [illegible] 8,50,000/- रुपया अब भुगतान शेष नहीं रहा.

[illegible]

[illegible]